

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)


:- आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत फूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी मो0 अनवर आलम पे0 मो0 युसूफ सा0 चंडीस्थान पो0 लक्ष्मीपुर थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 175/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2563 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाब अब तक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी किया गया था। अंचल अधिकारी, कुमारखंड एवं थानाध्यक्ष, कुमारखंड के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 294-2 दिनांक 19-03-2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। समुचित अवसर दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए मो0 अनवर आलम पे0 मो0 युसूफ सा0 चंडीस्थान पो0 लक्ष्मीपुर थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2563 को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपने अनुज्ञप्ति पुस्त पर धारित दो नाली बन्दुक सं0-470222 को कुमारखंड थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा कर जमा की सूचना के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संघारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।



जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....175...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....4.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, कुमारखंड/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0 अनवर आलम पे0 मो0 युसूफ सा0 चंडीस्थान पो0 लक्ष्मीपुर थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।